न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 11/2020 निर्णय दिनांक –10.06.2020

1. श्री बालमुकुन्द पिता भंवरलाल जाति सुथार आयु 56 वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
2. श्री रामेश्वरलाल पिता भंवरलाल जाति सुथार आयु 54 वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
3. श्री विष्णु पिता भंवरलाल जाति सुथार आयु 51 वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
4. श्री लालुराम पिता भंवरलाल जाति सुथार आयु 48 वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
5. श्री कैलाशचन्द पिता भंवरलाल जाति सुथार आयु 45 वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. श्री अम्बालाल पिता रोडी लाल जाति सुथार आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
2. श्री ताज मोहम्मद पिता शहाबुददीन जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. श्री गोपाल पिता मुलचन्द जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा गादोला पटवार हल्का गादोला तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 343 की आराजी नं0 317/1567 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नं0 318 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी नं0 319 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी नं0 320/1568 रकबा 0. 2100 हैक्टेयर, आराजी नं0 322/1569 रकबा 0.2600 हैक्टैयर, कुल किता 5 रकबा 0.9100 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 400/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा गादोला पटवार हल्का गादोला तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 343 की आराजी नं0 317/1567 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नं0 318 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी नं0 319 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी नं0 320/1568 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नं0 322/1569 रकबा 0.2600 हैक्टैयर, कुल किता 5 रकबा 0.9100 हैक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.04 00:34:40 IST
Reason: SelfAttested